

## मुख्यमंत्री ने वजिजापन अनुमति व नगर नकियों के वजिजापन स्थलों की ई-नीलामी हेतु लॉन्च किया एक पोर्टल

### चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा म्युनिसिपल वजिजापन उपनयिम-2022 के तहत वजिजापन अनुमति तथा नगर नकियों के वजिजापन स्थलों की ई-नीलामी के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के लॉन्च होने से सभी नगर नकियों में वजिजापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चिता होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से शहरी स्थानीय निकाय वभाग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकारी भवनों व प्राइवेट भवनों पर वजिजापन लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- उन्होंने बताया कि सभी नगर नकियों को कलेक्टर रेट का 2 प्रतिशत हसिसा मलिया। सरकारी स्थलों का ई-ऑक्शन किया जाएगा। इसका न्यूनतम रेट 4 प्रतिशत होगा, जसमें से 40 प्रतिशत एमसी को और 60 प्रतिशत भवन मालिक को मलिया।
- राज्य में सभी नगर नकाय, सरकारी वभाग, बोर्ड, नगिम, प्राधकिरण अब वजिजापन हेतु ई-नीलामी के लिये अपनी संपत्तियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। नजिी संपत्ता मालिक भी ई-नीलामी के माध्यम से वजिजापन अनुमति देने के लिये इस पोर्टल पर अपनी संपत्त/संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- नगर नकियों की भूमिका केवल इस पोर्टल पर आवेदनों को संसाधति करने और संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, आरक्षति मूल्य भरने तथा नीलामी की तथि निर्धारति करने की होगी। इसके बाद पोर्टल पर स्वतः ही नीलामी आयोजति होगी और उच्चतम बोली लगाने वाले का चयन होगा।
- इसके अलावा, सभी वजिजापन अनुमतियों, अनुबंध, भुगतान, प्रतभूतियों का प्रबंधन इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे मज़बूत राजस्व संग्रहण और अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चिता होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार पोर्टल पर पंजीकृत वजिजापन संस्थाएं (व्यवसाय/व्यक्ति) राज्य में नगर नकियों में सभी सूचीबद्ध वजिजापन संपत्तियों की ई-नीलामी में भाग ले सकती हैं।
- यह पोर्टल न केवल वजिजापन अधिकार प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि नगर नकियों और अन्य सरकारी संस्थाओं की वजिजापन के माध्यम से राजस्व में भी वृद्धि करेगा।